

न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर (विजनौर)।

काद सं०-1201013160302182

मोजा-सिकरौड़ा

निहाल सिंह

नाम

नगर

आदेश

110

110

9-2-18

धारा-80उ0प्र0राजस्व संहिता-2006

परगना-नहटौर

उ0प्र0 सरकार

प्रस्तुत काद की कार्यवाही निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम वैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला विजनौर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक-20-12-2017 के आधार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सिकरौड़ा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी चर्च 1424-1429 फसली के खाता सं० 22 खसरा नं० 25अ/0.164हे० व 25ब/0.930हे० कुल रकबई 1.094हे० भूमि पर प्रार्थी निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम वैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला विजनौर का नाम श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर पूर्ण भाग पर अंकित है। उक्त खसरा नं० 25अ/0.164हे० व 25ब/0.930हे० कुल रकबई 1.094हे० भूमि पर कृषि, बागवानी, मत्तस्थ पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा स्वयं के आवासीय प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। प्रश्नगत भूमि जनपदीय मार्ग पर स्थित है। रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 38,00,000/-रु० प्रति हेक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत $(1.094 \times 38,00,000 \text{ रु०}) = 41,57,200/-रु०$ है आती है जिसका 1 प्रतिशत 41600 रु० देय होता है। तहसीलदार धामपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अन्त में प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

मैंने तहसीलदार धामपुर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अनिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट दिनांक 20-12-17 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम सिकरौड़ा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी चर्च 1424-1429 फसली के खाता सं० 22 खसरा नं० 25अ/0.164हे० व 25ब/0.930हे० कुल रकबई 1.094हे० भूमि पर प्रार्थी निहाल सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम वैरमनगर परगना नहटौर तहसील धामपुर जिला विजनौर का नाम श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर पूर्ण भाग पर अंकित है। उक्त खसरा नं० 25अ रकबई 0.164हे० व खसरा नं० 25ब रकबई 0.930हे० 2 खेत कुल रकबई 1.094हे० भूमि पर कृषि, बागवानी, मत्तस्थ पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर फोटोग्राफ अलग है तथा उक्त भूमि में कोई सहखातेदार भी नहीं है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में

(क्रमशः पेज नं० 2 पर)



(2)

उपयोग नहीं कर रहे हों उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिशोधित करने की व्यवस्था दी गयी है। इसलिए रेट लिस्ट के अनुसार उक्त भूमि की मालियत 41,57,200/-रूपये होती है। जिसका 1 प्रतिशत 41,600/-रूपये सरकारी कोष में घालान संख्या 34 के द्वारा दिनांक- 09-02-2018 को जमा किया गया है। प्रश्नगत भूमि विकसित नहीं है तथा धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम शिकरीडा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतीनी वर्ष 1424-1429फ0 के खाता सं0 22 खरारा नं0 25अ/0.164 व 25ब/0.930ए0 कुल रकबई 1.094हे0 लगान मुताबिक खतीनी को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह उक्त आदेश का अंकन खतीनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धामपुर को इस आशय से भेजी जाये कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क पंजीकृत कराये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौकों पर घोषित अकृषिक भाग को विहित करते हुये नजरी नक्शे में पृथक-पृथक रंगों से आख्या भेजेगे। समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक- 09/02/2018

✓

(आजाद भगत सिंह)
परगनाधिकारी, धामपुर।
उप जिलाधिकारी
धामपुर (खिलास)

सबसे अधिक नं. 7555
दोनों का नं. 11-3-19
संशोधित नं. 12-3-19
दिनांक 13-02-19
दस्तावेज नं. 190

नये अभिलेख
12-3-19
संशोधित नं. 12-3-19
दस्तावेज नं. 190
उपनिबन्धक, धामपुर

